तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म व जज
5/3/18	वादी वकील उपस्थित। वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 9/3/18 को पेश हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना (बाड़मेर)	
9/3/18	पत्रावली आज पेश हुई। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना (बाड़मेर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना
पीठासीन अधिकारी श्री अन्जुम ताहिर सम्मा आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 06/2018

वादी:–

1. गीगाराम उर्फ अचलाराम पुत्र श्री सांगाराम जाति माली निवासी देवपुरा धारणा तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. तोगाराम पुत्र श्री सांगाराम जाति माली निवासी देवपुरा धारणा तहसील सिवाना जिला बाडमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी तहसील कार्यालय सिवाना जिला बाडमेर

वादपत्र बाबत् घोषणा

उपस्थितः–

1. श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता वादी

:: निर्णय::

दिनांक– 09/03/18

यह वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है सरहद मौजा देवपुरा धारणा में खेत खसरा संख्या 207 रकबा 03.11 बीघा की भूमि जेसा पुत्र प्रतापजी जाति माली निवासी धारणा की आयी हुई है जिसमें से जेसा पुत्र प्रतापजी माली के द्वारा 08 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान के वादी एवं उसके भाई तोगाराम को सप्रतिफल के बेचान की जिससे बाद खरीद उपरोक्त बेचाननामा के राजस्व रेकर्ड में वादी एवं उसके भाई तोगाराम का नाम अमलदरामद किया गया माफिक खरीद के राजस्व रेकर्ड में वादी एवं उसके भाई तोगाराम के नाम से खेत खसरा संख्या 207/2 वर्तमान खसरा संख्या 891/2207 रकबा 00.08 बीघा की भूमि बतौर खातेदार के दर्ज होने से मौके पर वादी एवं उसका भाई बतौर खातेदार काबिज काश्तकार आज रोज तक है,तथा राजस्व रेकर्ड में भूमि वादी एवं उसके भाई के नाम से दर्ज है। वादी को परिवार एवं गांव में अचलाराम के नाम से भी जाना व पहचाना जाता है तथा उसे परिवार में अचलाराम के नाम से पुकारा जाता है जिसे वक्त खरीद दस्तावेज लेखक द्वारा बतौर खरीदकर्ता अचलाराम दर्ज कर दिया गया तथा अचलाराम के नाम से ही उपरोक्त बेचाननामा का दस्तावेज उपपंजीयन कार्यालय सिवाना में दिनांक 27.06.1996 को दर्ज करवा दिया गया चूंकि वादी आम ग्रामीण व किसान व्यक्ति है तथा अनपढ व्यक्ति होने से उसके द्वारा सप्रतिफल की रकम अदा करते हुए उपरोक्त बेचाननामा अपने हक में पंजीयन करवा दिया गया था वक्त बेचान दस्तावेज लिखवाते वक्त खरीदकर्ता से सम्बन्धित कोई सरकारी दस्तावेज उपपंजीयन अधिकारी या कर्मचारियों द्वारा न तो मांगे जाते थे न ही उस वक्त पेश किये जाने के दिशानिर्देश राज्य सरकार द्वारा ही जारी किये गये थे, जिससे उपरोक्त

बेचान दस्तावेज में वादी का नाम गीगाराम के स्थान पर अचलाराम दर्ज करवाया गया था, उपरोक्त नाम मात्र जान पहचाने एवं पुकारे जाने के तौर ही दर्ज कर दिया गया,जबकि अचलाराम व गीगाराम दोनो ही एक ही व्यक्ति है तथा वादी स्वंय द्वारा ही उपरोक्त भूमि बतौर खरीदकर्ता के खरीद की थी तथा माफिक खरीद बेचान दस्तावेज के मौके पर वादी का बाद खरीद आज रोज तक कब्जा है तथा उसके द्वारा बतौर खातेदार काश्तकार के मोके पर भूमि काश्त की जा रही है। हाल में राज्य सरकार द्वरा उपरोक्त खातेदारी भूमि बाबत मुआवजा राशि जारी करने पर वादी द्वारा मुआवजा राशि प्राप्त करने के के लिए नकल मांगी गयी तब पटवारी हल्का द्वारा वादी का नाम उपरोक्त वादग्रस्त खेत की भूमि में अचलाराम नाम दर्ज होना कथन किया गया जिस पर वादी द्वारा राजस्व कैम्प के दौरान भी उपरोक्त नाम को दुरूस्ती करवाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया गया मगर भूमि सप्रतिफल के बेचान हुई थी, इसलिए उक्त कैम्प में वादी का नाम दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया, जिससे वादग्रस्त खेत की भूमि बतौर खातेदर काश्तकार के स्वंय के नाम से घोषित करवायी जानी आवश्यक हो गया अन्यथा उपरोक्त नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से वादी को भारी पेरशानी होने के कारण उक्त वाद प्रस्तुत किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये।

विप्रार्थी मय वकील धर्माराम चौधरी के उपस्थित जिन्होने जबाब प्रस्तुत कर अनापत्ति जाहिर की ।

विप्रार्थी गवाह PW 1 गीगाराम व PW 2 तोगाराम के बयान कलमबद्व कर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा देवपुरा धारणा के खेत खसरा संख्या 207/2 वर्तमान 891/207 रकबा 00.08 बिस्वा की भूमि में वादी का नाम अचलाराम की जगह गीगाराम घोषित कर राजस्व रेकर्ड में अचलाराम के स्थान पर गीगाराम दर्ज किये जाने का निवेदन किया ।

हमने विद्वान अधिवक्ता एक पक्षीय बहस सुनी तथ पत्रवली का अवलोकन किया। वाद पत्र के संलग्न प्रदर्श 1A विक्रेय विलेख दिनांक 27.08.1996 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 8 कम संख्या 1460/96 पृष्ठ संख्या 1460, प्रदर्श 2 ग्राम देवपुरा धारण की जमाबंदी खतोनी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 2 ,प्रदर्श 3 ग्राम देवपुरा धारण की जमाबंदी खतोनी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 158, प्रदर्श 4 A मतदाता परिचय पत्र,प्रदर्श 5 A आधारकार्ड व प्रदर्श 6 ग्राम पंचायत धारणा द्वारा जारी परिचय पत्र का गहनता से अध्ययन व मनन किया। वादी के समस्त राजकीय दस्तावेज व ग्राम देवपुरा

उपखण्ड कलक्टर (S.D.O.) सिवाना (बाड़मेर)

धारणा की जमाबंदी खतोनी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 158 में गीगाराम पुत्र सांगाराम कौम माली दर्ज है। वादी का वाद स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा देवपुरा धारणा के खेत खसरा संख्या 207/2 वर्तमान 891/207 रकबा 00.08 बिस्वा की भूमि मे वादी का नाम अचलाराम की जगह गीगाराम घोषित किया जाता है तहसीलदार सिवाना आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर रेकर्ड दुरूस्ती किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

निर्णय आज दिनांक 09/08/18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना